

मॉरीशस में आईएडब्ल्यूपी के कानूनी पंजीकरण पर कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव

प्रस्तावना

अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट भोगी गठबंधन (आईएडब्ल्यूपी), जो कई देशों में अपशिष्ट भोगियों और उनके संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक संघ संघ है, दुनिया भर में अपशिष्ट भोगियों के अधिकारों, मान्यता और आजीविका को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्थागत संरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शासन, वित्तीय प्रबंधन, वैश्विक स्तर पर पैरवी और साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए एक औपचारिक कानूनी पहचान की आवश्यकता को पहचानते हुए, कार्यकारी परिषद ने आईएडब्ल्यूपी के कानूनी निगमन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्राधिकार की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की है।

कार्यकारी परिषद सूरी एंड सुधीर कंसल्टेंसी द्वारा किए गए व्यापक कानूनी विश्लेषण को स्वीकार करती है, जैसा कि रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। “इंटरनेशनल एलायंस ऑफ वेस्ट पिकर्स (आईएडब्ल्यूपी) का कानूनी निगमन – क्षेत्राधिकार समीक्षा और सिफारिश, जिसमें चिली, कनाडा, केन्या और मॉरीशस सहित संभावित अधिकारक्षेत्रों का आकलन किया गया।

कार्यकारी परिषद होमनेट इंटरनेशनल द्वारा किए गए तुलनात्मक कानूनी सर्वेक्षण पर भी ध्यान देती है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कंबोडिया, चिली, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरीशस, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, लाओस, मालदीव, निकारागुआ, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया और थाईलैंड सहित विभिन्न न्यायक्षेत्रों में कानूनी ढांचे और आवश्यकताओं की समीक्षा की गई।

ये विश्लेषण सामूहिक रूप से मॉरीशस को एक ऐसे क्षेत्राधिकार के रूप में उजागर करते हैं जो पंजीकरण में अपेक्षाकृत आसानी, अनुकूल अनुपालन आवश्यकताओं, प्रशासनिक दक्षता और आईएडब्ल्यूपी जैसे अंतरराष्ट्रीय सदस्यता-आधारित संगठन के लिए उपयुक्तता प्रदान करता है।

संकल्प

अतः, अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट बीनने वालों के गठबंधन की कार्यकारी परिषद यह संकल्प लेती है कि:

1. पंजीकरण के लिए अनिवार्य

कार्यकारी परिषद ने आईएडब्ल्यूपी के पदाधिकारियों को मॉरीशस में संगठन के कानूनी पंजीकरण और निगमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।

2. अधिकार क्षेत्र

पदाधिकारियों और महासचिव को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार है:

- मॉरीशस में पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को पूरा करें;
- कंपनी के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार कानूनी और पेशेवर सेवाओं का लाभ उठाएं;
- आईएडब्ल्यूपी के शासन ढांचे के अनुरूप संविधान/नियमों सहित सभी वैधानिक दस्तावेजों को अंतिम रूप दें और जमा करें;
- मॉरीशस में लागू सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. शासन संरक्षण

पंजीकरण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि:

- आईएडब्ल्यूपी की लोकतांत्रिक, श्रमिक-नेतृत्व वाली शासन संरचना को संरक्षित रखा गया है;
- कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संवैधानिक प्रावधान और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित संबंधित नीतियां कानूनी इकाई में परिलक्षित होती हैं।
- संबद्ध संस्थाओं की जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व के तंत्र को बरकरार रखा जाता है।

4. वित्तीय और परिचालन निहितार्थ

पदाधिकारियों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- पंजीकरण और संबंधित लागतों के लिए स्वीकृत बजट के भीतर आवश्यक संसाधन आवंटित करें;
- किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ की रिपोर्ट वित्त उपसमिति और कार्यकारी परिषद को दें;
- यह सुनिश्चित करें कि पंजीकरण से आईएडब्ल्यूपी की अपने मिशन के अनुरूप धन प्राप्त करने और प्रबंधित करने की क्षमता मजबूत हो।

5. रिपोर्टिंग और निगरानी

पदाधिकारी और महासचिव कार्यकारी परिषद को समय-समय पर निम्नलिखित विषयों पर अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे:

- o पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति;
- o कंपनी के गठन के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय;
- o सामने आने वाली कोई भी चुनौतियां या जोखिम।